बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक– प्र07–विविध–16/2015– 738 खाद्य, पटना/दिनांक– 12-02-2018

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

विषय :– जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–1222 दिनांक–08.03.2017 एवं स्मार पत्रांक 1571 दिनांक 28.03.2017, 4023 दिनांक 16.08.2017 एवं 5995 दिनांक–24.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों का संदर्भ लेना चाहेंगे। इस सम्बन्ध में आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सफल संचालन हेतु जन वितरण प्रणाली के रिक्त पदों के विरूद्ध नई अनुज्ञप्ति निर्गत कर रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है, ताकि उपभोक्ताओं को समुचित लाभ समय पर मिल सके, परन्तु नई अनुज्ञप्ति का निर्गमन नही किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी विभिन्न विभागीय प्रासंगिक पत्रों के द्वारा भी नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु निदेश दिया गया है। दिनांक–08.02.2018 को दूरभाष से प्राप्त सूचनानुसार बांका, मधुबनी, सहरसा, जहानाबाद, भोजपुर, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिला में जन वितरण प्रणाली की नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन नही किया गया है। शेष अन्य जिलों में नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है, परन्तु नई जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञापन का निर्गमन नहीं किया जा रहा है, जो अत्यन्त ही खेदजनक है।

अतः अनुरोध है कि अपने जिलान्तर्गत रिक्त जन वितरण प्रणाली के दुकानों की अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अविलम्ब कार्रवाई करते हुए विज्ञापन का प्रकाशन/नई अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन,
(ह०) 9/2/2018
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–16/2015– 738 खाद्य, पटना/दिनांक– 12-02-2018

प्रतिलिपि – सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि भवदीय स्तर से भी इसकी समीक्षा करने की कृपा की जाय।

(ह०) 9/2/2018
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– प्र07–विविध–16/2015– 738 खाद्य, पटना/दिनांक– 12-02-2018

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) 9/2/2018
सरकार के सचिव।

D:\M_2016\Sec_7\Vividh.doc